कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 10132 /क्रय/जी.एम.एच./2016 रीवा,दिनांक 20-9-16

सीमित निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी/गांधी स्मारक चिकित्सालय में रेडियोडायग्नोसिस विभाग से निकलने वाले अनुपयोगी हाईपोफिक्सर एवं अनुपयोगी एक्सरे फिल्म के विक्रय हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार दिनांक 27.09.2016 को सायं 05.00 बजे तक अपनी निविदा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की बेवसाईट http://www.ssmcrewa.com पर देखा जा सकता है।

सीमित निविदा की शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र के साथ सीमित निविदा आवेदन का मूल्य रूपये 1000.00 (एक हजार) एवं अमानत राशि 5000.00 (पांच हजार) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट पृथक–पृथक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. सफल निविदाकार निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने पर रेडियोडाग्नोसिस विभाग में उपलब्ध अनुपयोगी हाइपोफिक्सर/एक्सरे फिल्म जहां है, जैसा है को तीन दिवस के भीतर नाप करा कर उसकी कीमत संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय में जमा कर उठाना होगा।
3. अनुपयोगी हाइपोफिक्सर/एक्सरे फिल्म की मात्रा की नाप कराने के उपरांत उसकी कीमत 24 घण्टे के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। जमा राशि की मूल रसीद विभागाध्यक्ष रेडियोडायग्नोसिस विभाग को प्रस्तुत करने पर ही उक्त सामग्री विभाग से प्राप्त की जा सकेगी।
4. बिक्री हेतु स्वीकृत दरें निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष तक के लिये मान्य होगी। इस अवधि में निकलने वाले अनुपयोगी हाइपोफिक्सर/एक्सरे फिल्म को इसी दर पर क्रय करना अनिवार्य होगा।
5. इच्छुक निविदाकार अनुपयोगी हाइपोफिक्सर/एक्सरे फिल्म का अवलोकन निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व रेडियोडायग्नोसिस विभाग में सुबह 09:00 बजे से 12:00 बजे के बीच (शासकीय अवकाश) के दिनों को छोडकर कर सकते है।
6. निविदाकार को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकार को निविदा के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति एवं टिन नं0 की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
8. रेडियोडायग्नोसिस विभाग से अनुपयोगी हाइपोफिक्सर/एक्सरे फिल्म उठाने के लिये निविदाकार को स्वंय का कंटेनर लाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा कोई कंटेनर नहीं दिया जायेगा।
9. शासन हित में सभी निविदा या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।
10. विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र0 10132-35 /क्रय/जी.एम.एच./2016 रीवा,दिनांक 20-9-16

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, विज्ञापन शाखा जनसम्पर्क संचालनालय, जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल म.प्र. ओर प्रकाशन हेतु।
2. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा म.प्र. की ओर भेजकर अनुरोध है कि इसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)